



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1417 सन् 2026

रामसखी और एक अन्य

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रतीक श्रीवास्तव, विक्रान्त प्रताप सिंह

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायभूति प्रकाश पाडिया,

1. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, दिनांक 13.02.2026 के निर्देश इस न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं, उन्हें अभिलेख पर लिया जाता है।
2. उपरोक्त निर्देशों में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा 2006 के मूल वाद संख्या 268 सन् 2006 (हीरा लाल बनाम राज्य) में दिनांक 17.02.2018 को दायर पुनर्स्थापन आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है और दिनांक 28.06.2017 के आदेश को वापस ले लिया गया है। यह भी कहा गया है कि इस मामले में अगली तिथि 16.02.2026 निर्धारित की गई थी।
3. उपरोक्त निर्देशों को पढ़ने के बाद यह तर्क दिया गया है कि जहाँ तक प्रार्थना संख्या ख) का संबंध है, वर्तमान रिट याचिका निरर्थक हो गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता संख्या 2 को उपरोक्त वाद अर्थात् मूल वाद संख्या 268 सन् 2006 पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
5. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
6. इस मामले को ध्यान में रखते हुए और साथ ही न्याय के हित में, वर्तमान रिट याचिका का **अंतिम रूप से निस्तारण** किया जाता है जिसमें उत्तरदाता संख्या 2 अर्थात् उप-जिला अधिकारी, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से, **चार महीने** की अवधि के भीतर, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो, संबंधित पक्षों को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, उपरोक्त मुकदमे पर शीघ्र और सकारात्मक रूप से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,)

फ़रवरी 24, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"